

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

कमांक प.1(1)चिस्वा/ग्रुप-2/2019

जयपुर, दिनांक : 09.07.2019

डा. लेखराज मीणा,
चिकित्सा अधिकारी,
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,
डिग्गी, टोंक

विषय:- मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में दायर अपील संख्या 973/2019 में पारित आदेश दिनांक 29.04.2019 की पालना में आपके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के निस्तारण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग के आदेश दिनांक 08.03.2019 के क्रम संख्या 5 के द्वारा आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डिग्गी, मालपुरा, टोंक से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उनियारा, टोंक में स्थानान्तरण किया गया था। उक्त आदेशों के विरुद्ध आपने मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 973/2019 दायर की। मा. अधिकरण ने उक्त अपील में दिनांक 29.04.2019 को आदेश पारित कर विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये हैं। आपने मा. अधिकरण के निर्देशानुसार विभाग में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि :-

आपने विभाग में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपना स्थानान्तरण निरस्त किये जाने का निवेदन किया है

आपके अभ्यावेदन पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया गया। वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डिग्गी, मालपुरा, टोंक में पद रिक्त नहीं है। अतः आपका अभ्यावेदन निरस्त करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने नवीन पदस्थापन स्थान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उनियारा, टोंक में अविलम्ब कार्यग्रहण करते हुए इस विभाग को अवगत करावें।

भवदीय,

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. निदेशक, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर/उदयपुर
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर/प्रतापगढ़

शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/ग्रुप-2/2019

जयपुर, दिनांक : 09.07.2019

डा. लेखराज मीणा,
चिकित्सा अधिकारी,
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,
डिग्गी, टोंक

विषय:- मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में दायर अपील संख्या 973/2019 में पारित आदेश दिनांक 29.04.2019 की पालना में आपके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के निस्तारण के संबंध में।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग के आदेश दिनांक 08.03.2019 के क्रम संख्या 5 के द्वारा आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डिग्गी, मालपुरा, टोंक से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उनियारा, टोंक में स्थानान्तरण किया गया था। उक्त आदेशों के विरुद्ध आपने मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 973/2019 दायर की। मा. अधिकरण ने उक्त अपील में दिनांक 29.04.2019 को आदेश पारित कर विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये हैं। आपने मा. अधिकरण के निर्देशानुसार विभाग में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि :-

आपने विभाग में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपना स्थानान्तरण निरस्त किये जाने का निवेदन किया है

आपके अभ्यावेदन पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया गया। वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डिग्गी, मालपुरा, टोंक में पद रिक्त नहीं है। अतः आपका अभ्यावेदन निरस्त करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने नवीन पदस्थापन स्थान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उनियारा, टोंक में अविलम्ब कार्यग्रहण करते हुए इस विभाग को अवगत करावें।

भवदीय,


शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. निदेशक, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर/उदयपुर
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर/प्रतापगढ़


शासन सहायक सचिव